राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(अस्थाई कार्यालय : महिला छात्रावास भवन, बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर)
☎ Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321
Website :- www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक :— रात्रऋभमवि / अल / अकाद.—प्रथम / 2019 / 173   दिनांक :— 26.8.19

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक 17.08.2019 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक होटल लेमन ट्री, शान्ति कुंज, अलवर में दिनांक 17.08.2019 को कुलपति प्रो0 अश्वनी बंसल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए:—

1. श्री जौहरी लाल मीणा, मा. सदस्य एवं विधायक, लक्ष्मणगढ़—राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र
2. श्रीमती शकुन्तला रावत, मा. सदस्य एवं विधायक, बानसूर विधानसभा क्षेत्र
3. डॉ0 नईम मोहम्मद, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा ग्रुप—4 (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा)
4. डॉ0 एम.पी. तिवाडी, माननीय सदस्य
5. डॉ0 के.एन. मिश्रा, माननीय सदस्य
6. डॉ0 कनिका व्यास, माननीय सदस्य
7. प्रो0 हर्मेश कंसल, माननीय सदस्य
8. डॉ0 आर.जी. मीणा, माननीय सदस्य
9. डॉ0 जी.डी. मेहन्दीरत्ता, डीन वाणिज्य संकाय एवं माननीय सदस्य
10. डॉ अनिता सोनी, डीन शिक्षा संकाय एवं माननीय सदस्य
11. डॉ0 रितेश शर्मा, माननीय सदस्य
12. डॉ0 शैलेन्द्र सिंह भाटी, उपनिदेशक कॉलेज शिक्षा, (प्रतिनिधि, आयुक्त कॉलेज शिक्षा)
13. सुश्री सरोज गुप्ता, कुलसचिव एवं सदस्य सचिव

एजेन्डा 1 :— प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 29.05.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णयः— बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव सुश्री सरोज गुप्ता ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए दि0 29.05.2019 को आयोजित BOM बैठक की कार्यवाही का विवरण पढ़कर सुनाया, जिसका सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा 2 :— अकादमिक परिषद की बैठक दिनांक 02.08.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णयः— सदस्यों द्वारा अकादमिक परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

एजेन्डा 3 :— विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के शिक्षण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व अन्य मदों में होने वाले व्यय के कारण विश्वविद्यालय निधि पर पडने वाले अतिरिक्त भार के मद्देनजर शुल्क में संशोधन के सम्बन्ध में।

सत्र 2018—19 में विद्यार्थियों से रू. 2,54,970/— प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ था। गेस्ट फेक्ल्टी को भुगतान का खर्च रू. 16,99,700/— एवं अन्य प्रशासनिक व्यय लगभग रू. 3.00 लाख (विज्ञापन, अध्यापन स्थान का विद्युत, पानी का किराया, शैक्षणिक भ्रमण आदि) हुआ। सत्र 2019—20 में स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के विषयों को संचालित करने के लिए अनुमानित खर्च रू. 50.00(पचास) लाख आयेगा।

सत्र 2019—20 में विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों के अध्यापन में खर्च होने वाले लगभग 50 लाख रू. में से 50 प्रतिशत विद्यार्थियों से शुल्क में लिया जाना एवं 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय कोष से व्यय करने हेतु प्रबन्ध मंडल की सहमति/स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

Scanned by CamScanner

निर्णयः–बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों श्री जौहरी लाल मीणा, श्रीमती शकुन्तला रावत, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि पी.जी. कोर्सों को चलाने में जितना भी खर्चा विश्वविद्यालय निधि से किया गया व इस सत्र में किया जावेगा उसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे, परन्तु उसी फीस पर इस वर्ष admission किए जाएं अगर आवश्यक हो तो थोडा–थोडा करके बढ़ाया जाय। उस पर सभी सदस्यों ने एक मत होकर पुरानी फीस पर इस वर्ष के लिए कोर्स खोलने का निर्णय किया। सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि सत्र 2019–20 में पूर्वार्द्ध व उत्तरार्द्ध कक्षाओं के अध्यापन में खर्च होने वाली राशि का व्यय विश्वविद्यालय निधि से किया जायेगा। F.C.

साथ ही पी.जी. प्रीवियस कक्षाओं में प्रवेश लिखित परीक्षा से न करवाकर स्नातक के प्राप्तांकों की मैरिट लिस्ट बनाकर किये जाने एवं प्रवेश हेतु आवेदन तिथि तीन दिन बढाने का निर्णय भी लिया। मैरिट लिस्ट बनाते समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रावधानों की पालना की जायेगी। O/C Admission

एजेन्डा 4 :– वित्त समिति में प्रबन्धन मण्डल के सदस्य के मनोनयन के संबंध में।

निर्णयः– सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से वित्त समिति में प्रो0 हर्मेश कंसल को वित्त समिति में प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में नामित किया गया। FC

एजेन्डा 5 :– M.Phil.-Ph.D. कार्यक्रम के संचालन व पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षकों की व्यवस्था DRC, RAC व Research Board आदि की बैठकों पर होने वाले व्यय के कारण विश्वविद्यालय निधि पर पडने वाले अतिरिक्त भार के मद्देनजर शुल्क में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया गया। O/C Research

निर्णयः– सदस्यों ने सर्वसम्मति से M.Phil. कोर्स में न्यूनतम 10 प्रवेश होने पर ही कोर्स चलाये जाने का निर्णय लिया। सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्धारित किया कि M.Phil. कोर्स चलाने की संभावना होने पर कुलपति महोदय द्वारा अंतिम निर्णय किया जावेगा। Ph.D. कोर्स की फीस वृद्वि के बिन्दु पर सभी सदस्यों द्वारा फीस वृद्वि नहीं करने का निर्णय लिया।

एजेन्डा 6:– दीक्षान्त समारोह आयोजन, इसमें प्रदान की जाने वाली उपाधियों व पदकों के निर्धारण के सम्बन्ध में अकादमिक परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव पेश किया गया। C.E.

निर्णयः– दीक्षान्त समारोह के आयोजन एवं इसमें प्रदान की जाने वाली उपाधियों व पदकों के निर्धारण के संबंध में अकादमिक परिषद की बैठक कार्यवाही का अनुमोदन सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया। दीक्षांत समारोह के आयोजन की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर, आयोजन की तिथि अक्टुबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित करने का निर्णय लिया।

डिग्री सत्यापन का कार्य जल्द से जल्द करने का निर्देश कुलपति महोदय ने दिया के सत्यापन कार्य पूर्ण करने हेतु एक अन्तिम बार महाविद्यालयों को पत्र लिखकर सूचित किया जाए सत्यापन कार्य पूर्ण न करने वाले महाविद्यालयों के छात्रों की डिग्री दीक्षांत समारोह के पश्चात छपवाई जायेगी एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि डिग्री छापने वाली फर्म की निविदा प्रक्रिया द्वारा चयन किया जाकर, कार्यदेश जारी कर दिए गए हैं, एवं शीघ्र ही अनुबंध की कार्यवाही की जाएगी।

विश्वविद्यालय में परीक्षा, रिसर्च व अन्य कार्यभार को देखते हुए कार्य व्यवस्था हेतु व दीक्षांत समारोह आयोजन के लिए राज्य सरकार, शासन सचिव उच्च शिक्षा व आयुक्त कॉलेज शिक्षा को सहआचार्य, सहायक आचार्य की प्रतिनियुक्ति हेतु पत्र भेजने का सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया गया।

Scanned by CamScanner

एजेन्डा 7 :– M.A. व अन्य विषय पढ़ाने के लिए संविदा पर टीचर्स रखने के उदयपुर व भरतपुर मॉडल पर एक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा गया।

OIC PG Teach

निर्णयः–माननीय सदस्य शकुन्तला रावत ने कहा कि संविदा पर शिक्षक रखने से आये दिन धरने प्रदर्शन होते हैं। अतः अतिथि शिक्षकों द्वारा ही शिक्षण कार्य करवाया जावे। माननीय सदस्य एस.एस. भाटी द्वारा संविदा पर शिक्षक लगाने से कोर्ट प्रकरण बनने की संभावना जतायी। सदस्यों ने कहा जहाँ तक सम्भव हो UGC योग्यताधारी फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए।

अतः सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्नातकोत्तर कक्षाओ में शिक्षण कार्य हेतु अतिथि शिक्षक लगाने का निर्णय लिया।

एजेन्डा 8 :– राजभवन के पत्र कमांक F1(A)(4) RB2019/5022 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में 3600/– या इससे कम ग्रेड पे के पदों पर भर्ती में पारदर्शिता के दृष्टिगत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से भर्ती किये जाने के संबंध में BOM के निर्णय हेतु प्रस्ताव पेश किया गया।

Registrar

निर्णयः– सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है। अतः भर्ती की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा ही कार्यवाही किये जाने का निर्णय आम सहमति से लिया गया। अभी कोई भर्ती pending नहीं है।

एजेन्डा 9 :– कुलपति चयन हेतु गठित होने वाली खोजबीन समिति में प्रबन्धन मण्डल द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्य का चयन का प्रस्ताव पेश किया गया।

Registrar

निर्णयः– कुलपति चयन हेतु गठित होने वाली खोजबीन समिति में प्रबंध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से प्रो. बी.एल. वर्मा पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय को मनोनीत किया गया।

टेबल ऐजन्डा 1

OIC Course work

निर्णयः– सत्र 2018–19 में पी.एच.डी. कोर्स वर्क की कक्षाओं मे अनुपस्थित रहे छात्रों हेतु U.G.C. के नियमानुसार इस सत्र 2019–20 में कक्षायें लगाकर कोर्स वर्क पूरा करवाया जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इसका arrangement शीघ्र चुनाव के बाद किया जाय।

टेबल ऐजन्डा 2

निर्णयः– संयुक्त निदेशक महानिदेशालय वस्तु एवं सेवाकर इन्टेलीजेन्स, जयपुर के कारण बताओ व डिमाण्ड नोटिस दि0 23.07.2019 के बारे में वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि नोटिस के अनुसार दि0 01.04.2016 से 30.06.2017 की अवधि में प्राप्त सम्बद्धता शुल्क पर रू. 64,47,986 सेवाकर व 15% पैनल्टी एक माह में जमा कराने, अन्यथा सभी सबूतों के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सम्बद्धता शुल्क शैक्षणिक गतिविधि से सम्बन्धित होने के कारण इस पर सेवाकर लागू नहीं होता है। अतः इसका निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत किया जायेगा। इस संबंध में सी.ए. से सम्पर्क करके कार्यवाही की जा रही है, साथ ही 2018–19, 2019–20 व आगामी सत्र 2020–21 में प्राप्त होने वाले सम्बद्धता शुल्क पर जी.एस.टी. लागू होने या नहीं होने के सम्बन्ध में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा। सभी सदस्यों ने महानिदेशालय वस्तु एवम सेवाकर के नोटिस का नियमानुसार जवाब देने व जी.एस.टी. (सम्बद्धता शुल्क पर) के सम्बन्ध में नियमानुसार उचित कार्यवाही करने का अनुमोदन किया।

University के Section 12 का Registration भी करवाया जाएगा।

बैठक अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों के धन्यवाद की साथ सम्पन्न कर दी गई।

कुलसचिव

कुलपति

Scanned by CamScanner